न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष

श्रीमती कुसुम मल्होत्रा – याचिकाकर्ता

बनाम

कुलपति का प्रबंधन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय—प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 21610/2011

07 फरवरी, 2013

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद *226/227* - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - *धारा* 25एफ - याचिकाकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के उस आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ता के मामले में टाइप टेस्ट पास करने की शर्तों में ढील नहीं दी गई है - *अभिनिर्धारित किया कि,* वह याचिका 1985 से प्रतिवादी विश्वविद्यालय के साथ तदर्थ आधार पर क्लर्क के रूप में काम कर रही है लेकिन उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है - वह नवंबर, 2002 में विधवा हो गई और अब सेवानिवृत्ति के कगार पर है- टाइप टेस्ट क्वालिफाई करने से छूट 17 अन्य क्लर्कों को भी दी गई - तथ्य यह है कि अन्य क्लर्कों को छूट दी गई थी, यह दर्शाता है कि शर्त अनिवार्य नहीं थी - आदेश रद्द - *याचिकाकर्ता ने आदेश दिया कि उसे 16.3.1991 से पदोन्नत किया गया है और सेवा में उसके नियमितीकरण पर उसी तारीख से विचार करने का आदेश दिया गया है।*

अभिनिर्धारित किया कि, कि याचिकाकर्ता नवंबर, 1985 से तदर्थ आधार पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। उनकी सेवाओं को इस कारण से नियमित नहीं किया गया है कि वह टाइप टेस्ट पास नहीं कर पाई थीं। नवंबर, 2002 में वह विधवा हो गई, जब उसके पति की मृत्यु हो गई। वर्तमान में, वह सेवानिवृत्ति के कगार पर है। प्रार्थना दिनांक 14.2.2006 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के टाइप टेस्ट की शर्त में छूट के मामले को खारिज कर दिया गया है और आगे याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। रिकॉर्ड पर एक और निर्विवाद तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 16-3-1991 के आदेश के तहत विश्वविद्यालय को छूट प्रदान की थी। टाइप टेस्ट क्वालिफाई करने से 17 क्लर्क। तत्पश्चात्, इसी प्रकार के आदेश क्रमश 18 और 14 कर्मचारियों के मामले में दिनांक 15-4-2010 और 03-10-2011 को पारित किए गए थे। उपर्युक्त आदेशों को यह दावा करके अलग करने की मांग की जाती है कि उन्हें चपरासी के पद से लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ क्लर्कों, जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया गया था, को टाइप टेस्ट में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने दिनांक 2-4-199 को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें यह प्रावधान था कि 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं और टाइप टेस्ट पास नहीं कर सकीं, उन्हें भी टाइप टेस्ट पास करने से छूट दी जा सकती है।

(*अनुच्छेद* 6)

अभिनिर्धारित किया कि, कि चूंकि कुछ कर्मचारियों, जिन्हें क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया हो, को 16.3.1991 को टाइप टेस्ट पास करने में छूट दी गई थी, याचिकाकर्ता को भी उस तारीख से छूट दी गई मानी जाएगी और उसके बाद सेवा में नियमितीकरण के उसके मामले पर विचार किया जाएगा और परिणामी लाभ दिए जाएंगे।

(*अनुच्छेद* 10)

करण सिंगला, याचिकाकर्ता के वकील।

एस. सी. सिब्बल, बालप्रीत सिद्धू के वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री वी. एस. राणा, अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए।*

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल-

1. याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.2.2006 के आदेश को रद्द करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के मामले में टाइप टेस्ट पास करने की शर्त में ढील नहीं दी गई है और आगे प्रतिवादी को उसकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 18.11.1985 को तदर्थ आधार पर जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से वह सेवा में बनी हुई थी। याचिकाकर्ता की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-1 के प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था, जिसके लिए उसने एक औद्योगिक विवाद उठाया था। श्रम न्यायालय ने 15-9-1998 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया और सेवा और वापस वेतन की निरंतरता के साथ बहाली का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय द्वारा दायर 1999 की सीडब्ल्यूआर संख्या 6680 को 24.8.2001 को खारिज कर दिया गया था। 2002 के एलपीए संख्या 322 में भी टीएचसी आदेश को बरकरार रखा गया था।

3. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अपील का निर्णय करते समय, इस अदालत की डिवीजन बेंच ने विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया कि वे इस तथ्य की पृष्ठभूमि में टाइप टेस्ट पास करने के संबंध में याचिकाकर्ता की आसानी पर विचार करें कि 17 अन्य क्लर्कों को छूट दी गई थी। इस तथ्य के बावजूद, याचिकाकर्ता को छूट से वंचित कर दिया गया था, हालांकि अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को दिनांक 16.3.1991 (अनुबंध पी-1), 15.4.2010 (अनुबंध पी-5) और 3.10.2011 (अनुबंध पी-8) के आदेशों के तहत छूट दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार ने 2.4.1991 को निर्देश जारी किए, जिसके संदर्भ में 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को टाइप टेस्ट पास करने से छूट दी जानी थी। चूंकि याचिकाकर्ता के पति की वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई थी और वह उस समय 45 वर्ष से अधिक आयु की थी, इसलिए उसे हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में भी छूट दी जानी आवश्यक थी, जो विश्वविद्यालय में भी विधिवत लागू है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कई व्यक्ति, जिन्हें याचिकाकर्ता की तुलना में बाद में नियुक्त किया गया था, को नियमित कर दिया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के साथ उसी तारीख से नियमित होने का हकदार है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्देश यह था कि जब तक याचिकाकर्ता टाइप टेस्ट को पास नहीं कर लेता है या कुलपति उक्त शर्त को माफ करने की कृपा नहीं करता है, तब तक याचिकाकर्ता की सेवाएं अस्थायी रहेंगी। याचिकाकर्ता को पास करने के लिए 24 मौके दिए गए लेकिन वह टाइप टेस्ट को पास नहीं कर सकी। याचिकाकर्ता के लिए भेदभाव की दलील इस कारण से उपलब्ध नहीं है कि टाइप टेस्ट में छूट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई थी, जिन्हें उनके 20% कोटा के खिलाफ क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। किसी भी कर्मचारी, जिसे सीधे भर्ती किया गया था, को इस तरह की छूट नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की आसानी हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिनांक 2.4.1991 के निर्देशों द्वारा कवर नहीं की गई है। रिट याचिका को विलंबित बताया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वर्ष 2006 में खारिज कर दिया गया था, जबकि रिट याचिका वर्ष 2011 में दायर की गई थी।

5. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

6. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नवंबर, 1985 से तदर्थ आधार पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। उनकी सेवाओं को इस कारण से नियमित नहीं किया गया है कि वह टाइप टेस्ट पास नहीं

कर पाई थीं। नवंबर, 2002 में वह विधवा हो गई, जब उसके पति की मृत्यु हो गई। वर्तमान में, वह सेवानिवृत्ति के कगार पर है। प्रार्थना दिनांक 14.2.2006 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसमें टाइप टेस्ट की शर्त में छूट के लिए याचिकाकर्ता की आसानी को खारिज कर दिया गया है और आगे याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। रिकॉर्ड पर एक और निर्विवाद तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.3.1991 ने 17 क्लर्कों को टाइप टेस्ट उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की। तत्पश्चात्, इसी प्रकार के आदेश क्रमश 18 और 14 कर्मचारियों के मामले में दिनांक 15-4-2010 और 03-10-2011 को पारित किए गए थे। उपरोक्त आदेशों में यह दावा करते हुए अंतर करने की मांग की गई थी कि उन्हें चपरासी के पद से लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ क्लर्कों, जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया गया था, को टाइप टेस्ट में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने दिनांक 2-4-1991 को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें यह प्रावधान था कि 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं और टाइप टेस्ट पास नहीं कर सकीं, उन्हें भी टाइप टेस्ट पास करने से छूट दी जाए।

7. टाइप टेस्ट पास करने से छूट के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को दिनांक 14-2-2006 के पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यद्यपि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है, लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि कार्यालय दक्षता के हित में यह अन्यथा आवश्यक है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1985 में नियुक्त होने के बाद से क्लर्क के रूप में कार्यालय में काम कर रही थी, यह दर्शाता है कि उसे कुशल पाया गया होगा, इसीलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, अन्यथा एक अक्षम अस्थायी कर्मचारी को किसी भी समय प्रबंधन द्वारा बाहर निकाला जा सकता था। 'यह तथ्य दर्शाता है कि अन्य क्लर्कों, जिन्हें पदोन्नत किया गया हो, को छूट दी गई थी, यह दर्शाता है कि शर्त ऐसी नहीं थी जो अनिवार्य थी और जिसके बिना किसी भी व्यक्ति को क्लर्क के पद पर नियुक्त या पदोन्नत नहीं किया जा सकता था।

8. दिनांक 16.3.1991 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि टाइप टेस्ट पास करने से छूट देते समय यह उल्लेख किया गया था कि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाएगी और उनकी पुष्टि की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। दिनांक 03-10-2011 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि छूट इस वचन के साथ दी गई थी कि लिपिक के पद पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है वे कम्प्यूटर प्रचालन सीखना जारी रखेंगे और किसी भी टंकण कार्य से इंकार नहीं करेंगे। प्रतिवादी की आसानी यह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी उसे सौंपे गए किसी भी काम को करने से इनकार कर दिया।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी -4) ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए टाइप टेस्ट पास करने से छूट के लिए अलग रखा जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया।

10. चूंकि कुछ कर्मचारियों, जिन्हें क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया हो, को 16.3.1991 को टाइप टेस्ट पास करने में छूट दी गई थी, याचिकाकर्ता को भी उस तारीख से छूट दी गई मानी जाएगी और उसके बाद सेवा में नियमितीकरण के उसके मामले पर विचार किया जाएगा और परिणामी लाभ दिए जाएंगे। किसी भी भुगतान के मामले में, याचिका दायर करने की तारीख से बकाया 38 महीने तक सीमित होगा।

11. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

ए. अग्रवाल

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा